न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11 / 2018
RCMS Case No. 2018/00054

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 बंशीलाल शर्मा पुत्र खिवराज जाति ब्राहम्ण निवासी माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 श्रीमती सायरी पत्नी स्व0 मांगीलाल 2 भंवरलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल 3 गोरधनलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल 4 गजेन्द्र पुत्र स्व0 मांगीलाल 5 पप्पीदेवी उर्फ पप्पू उर्फ पपली पुत्री स्व0 मांगीलाल 6 विमलादेवी पुत्री स्व0 मांगीलाल 7 सुशीला पुत्र स्व मांगीलाल जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण मकान नम्बर 910ए सरदारपुरा तीसरी ई रोड़, जोधपुर 8 राजमल पुत्र खिवराज जाति ब्राहम्ण निवासी माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन 9 तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक मारवाड़ जंक्शन (भूमिधारी)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री गोपीकिशन शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मुकेश आर्य, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7
3. श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 8
4. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 31/12/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तत कर ग्राम माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2639 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 05.02.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन में अपीलाण्ट के नाना फौजमल की खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा भूमि आई हुई स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 99, 100, 101 व 96 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 3.7686 हैक्टेयर है। फौजमल का देहान्त वर्ष

आर० जिला कलक्टर, पाली

1962 में हुआ। फौजमल के एक पुत्र एवं दो पुत्रियां थी, जो मांगीलाल, चमकु एवं घीसी थे। अपीलाण्ट घीसी का पुत्र है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी में फौजमल के विधिक वारिशान होने के नाते अपीलाण्ट की माता घीसीबाई का उपरोक्त सम्पति में 1/3 हिस्सा था। घीसीबाई का देहान्त वर्ष 2007 में हो चुका है। घीसीबाई के चार पुत्र एवं एक पुत्री है, जो अपीलाण्ट बंशीलाल शर्मा, रेस्पोडेन्ट राजमल, ओमप्रकाश, जुगलकिशोर, सकुडी उर्फ शकुन्तला है। इस अनुसार उक्त भूमि में अपीलाण्ट की माता के 1/3 हिस्से में अपीलाण्ट का 1/15वां हिस्सा निहित है। मांगीलाल द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलावट करते हुए फौजमल का देहान्त होने के पश्चात उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी अपने स्वयं के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। मांगीलाल द्वारा अपीलाण्ट को उसके हिस्से की भूमि प्रदान नहीं करने के कारण अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में दिनांक 16.04.2008 को एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत किया, जिसके वाद संख्या 166/2008 है। उक्त वाद के साथ अपीलाण्ट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट के 1/15वें हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। उसके पश्चात मारवाड़ जंक्शन में उपखण्ड कार्यालय सृजित होने के कारण उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत से न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन में स्थानान्तरित की गई, जो आज भी सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन के समक्ष विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट राजमल ने अपाराधिक नियत से मांगीलाल एवं मांगीलाल के वारिशान से मिलकर एक फर्जी एव कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 28.07.2009 को खसरा नम्बर 99, 100, 101 व 96 की भूमि मांगीलाल की ओर से राजमल के पक्ष में फर्जी रूप से तैयार करवाया गया। जबकि मांगीलाल द्वारा ऐसा कोई वसीयतनामा निष्पादित ही नहीं किया गया। इस फर्जी वसीयतनामे के स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखने हेतु स्टाम्प विक्रेता ने इबारत लिखी है, इसलिए यह वास्तव में शपथ पत्र देने हेतु कोई स्टाम्प लिया हुआ था, जिस पर राजमल ने यह फर्जी वसीयतनामा का दस्तावेज टाईप करवाया है, जबकि मांगीलाल शुरू से ही जोधपुर रहता था एवं इस फर्जी वसीयतनामें में ही जोधपुर का ही पता लिखवाया है। उक्त वसीयतनामा में साखे भी फर्जी डलवाई गई है। मांगीलाल के भी दो स्थानों पर हस्ताक्षर करवाए गए है, जो विधि विरूद्ध है। वसीयत में कभी भी प्रतिफल नहीं दिया जाता है, जबकि इसमें राजमल के द्वारा प्रतिफल दिया जाना बताया है, इसके अतिरिक्त मांगीलाल के हस्ताक्षर की किसी भी अभिभाषक द्वारा पहचान नहीं की गई है एवं न ही उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक एवं सब रजिस्ट्रार से तस्दीक सुदा है। ऐसे फर्जी वसीयतनामे की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। मांगीलाल को अपीलाण्ट एवं अन्य सह खातेदारान के हिस्से की भूमि वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है। मांगीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि दिनांक 28.07.2009 को डायाराम नामक व्यक्ति को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान की। इस कारण जब मांगीलाल का उक्त आराजी में हिस्सा शेष ही नहीं रहता था, तो उसे किसी भी रूप से वसीयत करने का अधिकार ही नहीं था। मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 17.06.2014 को हो चुकी है एवं राजमल द्वारा अपने पक्ष में मांगीलाल द्वारा सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 28.07.2009 को तथाकथित वसीयत करना बताता है तथा मांगीलाल के सभी वारिशान द्वारा भी मांगीलाल के पक्ष में सहमति पत्र दिनांक 23.07.2010 को राजमल द्वारा फर्जी रूप से तैयार किया गया है। यदि मांगीलाल द्वारा दिनांक 28.07.2009 को ही राजमल के बताए अनुसार

अति० जिला कलेक्टर, पाली

वसीयत की होती, तो ऐसे सहमति पत्र लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार भंवरलाल के शपथ पत्र में भी दिनांक 23.12.2015 को राजमल को तथाकथित वसीयत दिनांक 28.07.2009 की जानकारी होना उसके बताया है, तो भंवरलाल व उसके वारिशान द्वारा दिनांक 04.06.2015 को मांगीलाल के फौत होने के एक वर्ष पश्चात अपने स्वयं के नाम नामान्तरकरण क्यों दायर करवाया। यदि वसीयत वास्तविक रूप से अस्तित्व में होती, तो राजमल उक्त वसीयतनामा के आधार पर ही नामान्तरकरण दायर करवा सकता था। इसके अतिरिक्त जैर अपील नामान्तरकरण स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद दायर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट राजमल द्वारा एक झूठा दावा दिनांक 10.03.2016 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश मारवाड़ जंक्शन के न्यायालय में मांगीलाल के अन्य सभी वारिशान से मिलावट कर एक कोलोजिव दावा न्यायालय को गुमराह कर जानबूझकर इन सभी को सारे तथ्यों की जानकारी होते हुए भी वास्तविक तथ्यों को छुपाया एवं न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन में विचाराधीन वाद में अपीलाण्ट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया एवं एक झूठा दावा बाबत वसीयतनामा को वैध घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें राजमल एवं अन्य प्रतिवादीगण मांगीलाल के सभी वारिशान को पक्षकार बनाए बिना बाले बाले उसकी जानकारी के बिना सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी कर दिनांक 14.10.2016 को सी0ओ0 16/2016 राजमल बनाम भंवरलाल वगैरा में गलत डिक्री एवं आदेश पारित करवाया, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं होने दी। उक्त विधि विरूद्ध रूप से उक्त डिक्री की पालना हेतु न्यायालय के समक्ष इजराय प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रकरण में पारित स्थगन आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, इसके बावजूद भी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने एवं वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तकरण पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय सिविल न्यायालय, मारवाड़ जंक्शन द्वारा सी0ओ0 16/2017 राजमल बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2016 एवं न्यायालय हाजा द्वारा नामान्तरकरण अपील संख्या 30/2017 राजमल बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 की पालना में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। जहां तक वसीयत का प्रश्न है, तो वसीयत को वैध घोषित कराने का क्षेत्राधिकार एकमात्र रूप से सिविल न्यायालय को ही है, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करवाए बिना हस्तगत अपील पोषणीय नहीं है। राजस्व न्यायालय के निर्णय पर सिविल न्यायालय का निर्णय प्रभावी होता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 708 में अवधारित किया गया है कि राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को सिविल न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है। पटवारी द्वारा जब फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया, तो उसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को नोटिस दिया जाना था व मांगीलाल के निर्वसीयती फौत होने के सम्बन्ध में जांच की

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

जानी थी, जो नहीं की गई। बाद जांच नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी थी, जब पटवारी फौतेदगी नामान्तरकरण दायर कर सकता है, तब उसे अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, उसकी अपील नहीं की एवं जब वसीयत के आधार पर फौतेदगी नामान्तरकरण भरा गया, तब अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील नामान्तरकरण न्यायालय के आदेशों की पालना में दायर किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम माण्डा का नामान्तरकरण संख्या 2639 माननीय सिविल न्यायाधीश मा0जं0 द्वारा प्रकरण संख्या सी0ओ0 16/2016 में दिनांक 14.10.2016 को पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में स्वीकृत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के नाम दायर करते हुए तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण में वसीयतनामा के वैध होने, स्थगन आदेश प्रभावी होने, वाद विचाराधीन होने आदि तथ्यों को उजागर किया गया है। जिनका परीक्षण नामान्तरकरण अपील की परिधी में नहीं किया जा सकता है। हस्तगत अपील में मात्र नामान्तरकरण दायर करने में अपनाई गई प्रक्रिया की वैधता का परीक्षण किया जाना है। चूंकि हस्तगत नामान्तरकरण माननीय सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित निर्णय की पालना में दायर किया गया है, जिसके सन्दर्भ में समुचित उपचार उक्त निर्णय की अपील किया जाना था, जो नहीं की जाकर अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपील की आड में माननीय सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित निर्णयों को प्रश्नगत करने का प्रयास किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2639 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 05.02.2018 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली